

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि डॉ० अजय कुमार साहा, सह-प्राध्यापक चर्म एवं गुप्त रोग विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया सम्प्रति जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर के विरुद्ध दिनांक-28.02.2019 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त डॉ० साहा के विरुद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(3) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के अधीन डॉ० अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. डॉ० साहा से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वयं उपस्थित हों।

4. इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प एक प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-सं०सं०-९/आ०-०३-१५/२०२३(स्वा०)।२।(९)/ पटना, दिनांक : ०६०२०२५

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित डॉ० अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जाँच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डॉ० अजय कुमार साहा, सह-प्राध्यापक चर्म एवं गुप्त रोग विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया सम्प्रति जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर पता-MIG 77, बरारी हाउसिंग कॉलोनी, जिला-भागलपुर-812003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन, भागलपुर/बेतिया, प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया एवं जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी प्रति आरोपित पदाधिकारी को तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

०६/०२/२०२५

सरकार के अवर सचिव।